न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी श्री नारायण सिंह चारण आर0ए0एस)

निगरानी सं0 09/2017

1. विमला देवी पत्नी मंगलाराम शर्मा निवासी बडबिराना हाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।

— प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।
3. सरपंच/ सचिव ग्राम पंचायत सरदारपुरा पंचायत समिति नोहर।
4. कमलेश कुमार पुत्र श्री जयकिशन जाति जाट निवासी वार्ड स0 10 नोहर तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र जैसाराम जाट निवासी नोहर वार्ड न0 25 तहसील नोहर।

—अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय स्थापना एवं स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 22.02.2007 व विकास अधिकारी के निर्णय दिनांक 22.02.2007 अपील स0 15/002 अनवानी कलेश कुमार बनाम विमला आदि जिसकी रूह से प्रार्थी का पटटा खारिज किया गया को निरस्त करवाकर पटटा बहाल करवाने बाबत।

उपस्थितः— श्री हरिसिंह सिहाग, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः— 20.02.2020

प्रार्थी ने अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय दिनांक 22.02.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश कर निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है —

1. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने एक अपील विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर को इस कथन के साथ पेश कि की वाके चक सरदारपुरा में भाणाराम व जगमाल जाट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को सन् 1977 में जारी किया हुआ पटटा उसके द्वारा जरिये इकरारनाम दिनांक 19.04.1989 को खरीद कर लिया था और इस पटटा शुद्धा भूखण्ड में से 30 गुणा 100 फुट का पटटा विमला पत्नी मंगला के पक्ष में दिनांक 05.01.2002 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया था जिसे खारीज फरमाया जावें।

2. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर पंचायत समिति द्वारा प्रार्थीया को बिना सुने एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ विकास अधिकारी पंचायत समिति नोहर द्वारा फैसला कर दिनांक 22.02.2007 को पटटा खारिज कर दिया जो कतई विधि विरूद्ध खारीज किया गया है जिससे पिड़ित होकर प्रार्थीया निम्न आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है–

क– प्रार्थीया के पक्ष में ग्राम पंचायत सरदारपुरा द्वारा पूरी विधिक प्रक्रिया अपना कर तथा मिसल तैयार कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव स0 2 के अनुसार दिनांक 05.01.2002 को किमतन पटटा जारी किया था इस जगह पर पूर्व में अप्रार्थी स0 3 का कोई पटटा बना हुआ नहीं था इसलिए पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 22.02.2007 कतई खिलाफ कानून है।

ख– ग्राम पंचायत के किसी फैसला के खिलाफ पंचायत समिति की प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष 30 दिन के अन्दर अपील प्रस्तुत की जा सकती है जबकि यह अपील स0 15/02 विकास अधिकारी के समक्ष एक साल बाद में पेश की गयी है जो बेरून मियाद प्रस्तुत की गयी है तथा विकास अधिकारी के द्वारा ही हस्ताक्षरित कर यह निर्णय पारित किया गया है जबकि निर्णय प्रशासन एवं स्थापना समिति के प्रस्ताव द्वारा ही पारित किया जाता है और उस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते है ना की विकास अधिकारी के इसलिए यह निर्णय काबिल खारिजी के है।

ग– पंचायत समिति द्वारा यह निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थीया को नोटिस दिया गया और नाही विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया है तथा ना ही पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया तथा ना ही मौका कमेटी गठित कर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई इसलिए बिना विधिक प्रक्रिया अपना विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो खारीज फरमाया जावें।

घ– अप्रार्थी स0 4 द्वारा यह पंचायत समिति में यह अपील पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही निर्णय की कोई प्रति पेश की गई है केवल मात्र पटटा स0 22 की छाया प्रति पेश की गयी है जबकि कागज पटटा कोई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy - Not Official

निर्णय नहीं होता है निर्णय तो वह पंचायत का प्रस्ताव है जिसके तहत पटटा जारी किया गया है इसलिए भी यह निर्णय कतई गलत है।

3. पंचायत समिति के उक्त निर्णय का ज्ञान अब प्रार्थी को उस समय हुआ जब अप्रार्थी स0 4 द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड पर जबरिया कब्जा करने की धमकी दी इसलिए नकले आदि प्राप्त कर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है तथा निगरानी हेतु कोई मियाद नहीं है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर अर्ज है कि पंचायत समिति द्वारा अपील स0 15/02 अनवानी कमलेश कुमार बनाम विमला देवी आदि मे पारित निर्णय दिनांक 22.02.2007 निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का पटटा स0 22 बहाल किया जावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय पंचायत समिति का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए निवदेन किया कि हमारी निगरानी ही बहस है। दस्तावेज संलग्न किये हुए है। निगरानी स्वीकार करें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निगरानीकार भूखण्ड बेच चुके है। प्रशासन स्थापना समिति का निर्णय सही है। निगरानी खारीज करें।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत समिति नोहर की पत्रावली संख्या 15/2002 बअनवानी कमलेश कुमार बनाम विमला देवी में संलग्न दस्तावेज दिनांक 19.04.89 एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसके द्वारा भाणाराम एवं जगमाल से गैर निगरानीकार संख्या 4 व 5 ने भूखण्ड पटटा संख्या 3 दिनांक 18.11.77 कय किया है। अतः इस पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कय किये गये भूखण्ड के पटटे पर ग्राम पंचायत को ओर पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा के पत्र दिनांक 18.09.2004 की फोटोप्रति जिसका उल्लेख पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 22.02.2007 में भी किया गया है से प्रथत दृष्टया साबित होता है कि ग्राम पचायत द्वारा भूलवंश पूर्व मे जारी पटटो के आंशिक हिस्सो पर पटटा जारी किया गया है। पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 22.02.2007 में उल्लेख आया है कि सरपंच ग्राम पंचायत चक सरदारपुरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy Not Official

द्वारा पटटा डीएलसी दर से काफी कम दर पर जारी किया गया है जो की पटटे में अंकित राशि 800 रूपये एवं क्षेत्रफल 400 वर्गगज के अवलोकन से भी प्रथम दृष्टया साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पंचायत समिति नोहर की प्रशासन एवं स्थापना समिति ने अपने निर्णय दिनांक 22.02.2007 द्वारा निगरानीकर्ता का पटटा खारीज करने में कोई विधिक त्रूटि नही की है अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल पत्रावली रहे। निर्णय की प्रति पंचायत समिति को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

20/2/2020

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official